

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120002031999



उपस्थित— हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद सं०—843 / 1999

सरकार बनाम रामभरोसे आदि

कथानक अभियुक्त नाम—

1— रामभरोसे पुत्र देवीप्रसाद

2— शिवबरन पुत्र देवीप्रसाद

3— रामबरन पुत्र देवी प्रसाद

समस्त निवासीगण नाथीखेड़ा, थाना पुरवा जिला उन्नाव।

अ०सं०—160 / 1999

धारा—324,504,506 भा०दं०सं०

थाना—पुरवा, उन्नाव

प्रश्न संख्या 1— अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर— कुछ नहीं कहना।

प्रश्न संख्या —2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?

उत्तर— जी हाँ।

प्रश्न संख्या —3 आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला ?

उत्तर— क्यों कि मैंने अपराध किया था।

प्रश्न संख्या —4 क्या कुछ और कहना है ?

उत्तर— जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्तगण की परीक्षा मेरी उपस्थिति में
की गयी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा किये
गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांक:—06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।

अभियुक्तगण की ओर से जुर्म इकबाल करने का कथन किया गया। अभियुक्तगण को समझा दिया गया कि सजा हो सकती है। उनके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की। अभियुक्तगण ने अपने बयान में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारा है। स्वेच्छया पूर्वक की गयी संस्वीकृत के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्तगण को धारा 324,504,506 भा०दं०सं० में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामों निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को अविलम्ब न्यायिक

अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्तगण की ओर से दण्ड के बिन्दु पर कथन किया गया है कि वे अत्यन्त गरीब हैं। वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तथा उनके ऊपर, उनके परिवार के पालन पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

प्रकरण वर्ष 1999 से लम्बित है। उसे निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण रामभरोसे, शिवबरन तथा रामबरन के द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण को फौजदारी वाद सं०-843/1999, अ०सं०-160/1999, थाना पुरवा जिला उन्नाव के प्रकरण में धारा 324 भा०दं०सं० के अपराध हेतु प्रत्येक अभियुक्त को मु० 2,000/-रु० (दो हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगें तथा धारा 504 भा०दं०सं० के अपराध हेतु प्रत्येक अभियुक्त को मु० 500/-रु० (पाँच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वे 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगें तथा धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध हेतु प्रत्येक अभियुक्त को मु० 1,000/-रु० (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगें। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक-06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।